# लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

## पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 109/2021<br>**(GCMS 2021/468)** | 12.11.2021 | 01.12.2021 |

**अनवान**

जोधसिंह गिलुण्डिया निवासी मु.पो. राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

**अपीलांट**

**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

**रेस्पोंडेंट**

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**–:: निर्णय ::–**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 27.09.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./109/2021(सू.अ.)(01.12.2021) से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 01.12.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 01.12.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

बावजूद सूचना अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक रीड़र/लोसूअ/2021/541 दिनांक 30.11.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

यह कि परिवादी श्री जोधसिंह गिलुण्डिया पिता नाहरसिंह निवासी राशमी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 27.09.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्ष 2010 से आज तक हुये भूमि रुपान्तरण के प्रकरण में नामान्तरण खुल कर रेकार्ड में अमल हो चुके है कितनों में नामान्तरण होना शेष रहने का क्या कारण है शेष रहे प्रकरण की सूची चाही गयी।

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उक्त सूचना के क्रम में प्रार्थी से दूरभाष से सम्पर्क कर कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु कहा गया प्रार्थी 29.11.2021 को कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन दिनांक 27.09.2021 के संबंध में वांछित सूचना की आवश्यकता नहीं होने का हवाला देते हुए लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो संलग्न पत्र है अतः उक्त परिस्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 29.09.2021 पर कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक रीड़र/लोसूअ/2021/541 दिनांक 30.11.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/सू.अ. 005/2021/15 दिनांक 20.10.2021 से सूचित किया गया था कि प्रश्नगत सूचना अत्यंत विस्तृत है। अतः आप कार्यालय में आगामी 07 दिवस में किसी कार्य दिवस को कार्यालय में उपस्थित होकर आपके हितबद्ध के रिकॉर्ड का अवलोकन कर रिकॉर्ड के अनुरूप अपनी विशिष्ठियों का उल्लेख कर कार्यालय के अनुभाग इंचार्ज को बतावें। ताकि तदनुसार आपको सूचना उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दूरभाष पर भी संपर्क कर कार्यालय में उपस्थित होकर उसके द्वारा वांछित सूचना को चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस पर अपीलार्थी स्वयं दिनांक 29.11.2021 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी के कार्यालय में हाजिर हुए। एवं लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके द्वारा दिनांक 27.09.2021 को प्रस्तुत आवेदन में वर्णित सूचना की अब उन्हें आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थी द्वारा किए गए उक्त आवेदन को आपके कार्यालय स्तर से निरस्त फरमावें।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा स्वयं लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र अपने आवेदन दिनांक 27.09.2021 में वर्णित सूचना की आवश्यकता न होने का हवाल देते हुए अपने आवेदन को निरस्त करने का निवेदन किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर अब इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>01.12.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा) (I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलीय प्राधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official